1 आपराधिक प्रकरण कमांक 1336/2015 ई0फौ0

न्यायालय— प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 1336 / 2015 संस्थापित दिनांक 22 / 12 / 2015 फाइलिंग नं. 230303021612015

ALAN LEAGE

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र— गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०

<u>.....अभियोजन</u>

बनाम

 संतोष चौरिसया पुत्र रामचरन चौरिसया उम्र 25 वर्ष निवासी— बंधा बरथरा गोहद जिला भिण्ड

..... अभियुक्त

(अपराध अंतर्गत धारा—279 एवं 337 भा०द०स० तथा मोटरयान अधिनियम की धारा 3 / 181) (राज्य द्वारा एडीपीओ— श्रीमती हेमलता आर्य) (आरोपी द्वारा अधिवक्ता— श्री बी०एस० गुर्जर)

<u>::- नि र्ण य --:</u> (आज दिनांक 02.06.2018 को घोषित)

आरोपी पर दिनांक 13.11.2015 को दिन के लगभग 02:00 बजे भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास कस्बा गोहद में लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन मोटरसाईकिल क0 एम0पी0 30 एम0जी0 0620 को बिना ड्राईविंग लाईसेंस के उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए फरियादिया मदीना के पित आहत शकूर खाँ में टक्कर मारकर उसे साधारण उपहित कारित करने हेतु भा0दं0सं0 की धारा 279, 337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 03/181 के अंतर्गत अपराध विवरण निर्मित किया गया है।

- 2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 13.11.2015 को दिन के लगभग 02:00 बजे फरियादिया मदीना के पित सकूर खाँ गोहद बाजार से अपने घर लक्ष्मण तलैया पैदल पैदल अपने हाथ पर रोड़ के किनारे चल रहे थे तभी एक मोटरसाईकिल चालक जिसका नाम संतोष चौरिसया था मोटरसाईकिल को मौ रोड़ की तरफ से तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया था और उसके टक्कर मार दी थी जिसके उसके सिर में चोट आई थी जनता के लोगों ने एम्बूलेंस बुलवाकर उसे गोहद अस्पताल भेजा था। गोहद अस्पताल से उसे ग्वालियर भेजा गया था। रसूल खाँ खाँ ने फरियादी मदीना को पूरी बात बताई थी तब फरियादी मदीना द्वारा थाने पर रिपोर्ट की गई थी। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना गोहद में अपराध क0 381/15 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे। आरोपी को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
- 3. उक्त अनुसार आरोपी के विरुद्ध अपराध विवरण निर्मित किया गया आरोपी को अपराध की विशिष्टयां पढकर सुनाई व समझाई जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।

10

- 4. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूटा फंसाया गया है।
- 5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुये हैं :--
 - 1. क्या आरोपी ने दिनांक 13.11.2015 को दिन के लगभग 02:00 बजे भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास कस्बा गोहद में लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन मोटरसाईकिल क0 एम0पी0 30 एम0जी0 0620 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
 - 2. क्या आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर मोटरसाईकिल क0 एम0पी0 30 एम0जी0 0620 को उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाते हुए फरियादिया मदीना के पित आहत शकूर खॉ में टक्कर मारकर उसे साधारण उपहित कारित की ?
 - 3. क्या आरोपी के पास घटना दिनांक समय व स्थान पर मोटरसाईकिल क्र0 एम0पी0 30 एम0जी0 0620 को चलाने की अनुज्ञप्ति नहीं थी ?
- 6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादिया मदीना अ०सा० 1, साक्षी परमाल सिंह अ०सा० 2, आहत संकूर खाँ अ०सा० 3, डाँ० आदित्य श्रीवास्तव अ०सा० 4, ए०एस०आई० हिम्मत सिंह भदौरिया अ०सा० 5, सेवानिवृत्त प्रधान आरक्षक श्यामकरन शर्मा अ०सा० 6, सेवानिवृत्त आरक्षक रामकरन शर्मा अ०सा० 7 एवं रसूल खाँन अ०सा० 8 को परीक्षित कराया गया है जबिक आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1, 2 एवं 3

- 7. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 8. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में फरियादी मदीना अ0सा0 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह आरोपी संतोष को जानती है। घटना दीवाली के दौज के दिन की है जिस समय घटना हुई थी उस समय वह अपने घर पर थी। उसे घटना के बारे में परमाल ने बताया था, उसका पित बाजार से घर आ रहा था तभी मौ साईड से एक मोटरसाईकिल आई थी, मोटरसाईकिल पर तीन लोग दो लड़की व एक लड़का था, उसे यह नहीं देखा था कि मोटरसाईकिल कैसी चल रही थी उसके पित सकूर खाँ का एक्सीडेंट हुआ था जिन्हें अस्पताल लेकर गये थे, मोटरसाईकिल को संतोष चौरसिया चला रहा था उसने थाने पर रिपोर्ट की थी जो प्र0पी0 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि अरोपी मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए लाया था और उसे मोटरसाईकिल से टक्कर मार दी थी एवं व्यक्त किया है कि आरोपी मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए लाया था और उसे मोटरसाईकिल से टक्कर मार दी थी एवं व्यक्त किया है कि आरोपी का नाम और पता बताया था। प्रतिपरीक्षण के पद क 3 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि वह आरोपी का नाम नहीं जानती है एवं साक्षी द्वारा हाजिर अदालत आरोपी को देखकर यह भी व्यक्त किया गया है कि यह संतोष नहीं है।
- 9. आहत सकूर खॉ अ०सा० 3 ने भी अपने कथन में यह बताया है कि उसके न्यायालयीन कथन के लगभग एक वर्ष पहले दिन के दो ढाई बजे वह गोहद बाजार से अपने घर तलैया बापिस पैदल पैदल जा रहा था तो थाने के पास उसके टक्कर लग गई थी। मोटरसाईकिल वाला मोटरसाईकिल को तेजी से चलाकर उसके टक्कर मार गया था, टक्कर लगने से उसके सिर, हाथ, पैर में चोट आई थी, वह टक्कर लगने वाले का नाम नहीं जानता है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी संतोष चौरसिया ने अपनी मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाही से चलाकर उसके टक्कर मार दी थी। प्रतिपरीक्षण के पद कृ० 2 में उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि वह हाजिर अदालत आरोपी संतोष को नहीं जानता है और न ही उसने आरोपी को कभी देखा है।

- 10. साक्षी रसूल खॉ अ०सा० 8 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि वह आरोपी संतोष को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग एक डेढ साल पहले की है। घटना दिनांक को वह एस०बी०आई० बैंक के सामने टायर पंचर की दुकान पर बैठा था, तभी आरोपी संतोष गोहद बाजार की तरफ से आ रहा था, सकूर पैदल पैदल उसके आगे था। संतोष ने सकूर को पीछे से टक्कर मार दी थी। टक्कर लगने से सकूर गिर गया था और उसके चोट आई थी। संतोष मोटरसाईकिल को तेजी से चला रहा था। सकूर के घरवाले उसे गोहद अस्पताल ले गये थे, जहां उसका इलाज हुआ था। वह मोटरसाईकिल का नम्बर नहीं पढ़ सकता था, वहां बैठे लड़कों ने मोटरसाईकिल का नम्बर लख दिया था। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसे जानकारी नहीं है कि सकूर खॉ कितने बजे घर से निकला था और कहां—कहां गया था।
- 11. साक्षी परमाल सिंह अ०सा० 2 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं व्यक्त किया गया है कि उसके सामने कोई घटना नहीं हुई थी। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी ने आरोपित मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए सकूर खाँ के टक्कर मार दी थी।
- 12. ए०एस०आई० हिम्मत सिंह भदौरिया अ०सा० 5 द्वारा प्र०पी० 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रमाणित किया गया है। डॉ० आदित्य श्रीवास्तव अ०सा० 4 द्वारा आहत सकूर खॉ की चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र०पी० 6 को प्रमाणित किया गया है। सेवानिवृत्त आरक्षक रामकरन शर्मा अ०सा० 7 द्वारा आरोपित मोटरसाईकिल क० एम०पी० 30 एम०जी० ०६२० की मैकेनिकल जांच रिपोर्ट प्र०पी० 9 को प्रमाणित किया गया है एवं सेवानिवृत्त प्रधान आरक्षक श्यामकरन शर्मा अ०सा० 6 द्वारा विवेचना को प्रमाणित किया गया है।
- 13. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभाषी रहे है अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।
- 14. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी मदीना अ0सा0 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया है कि घटना वाले दिन वह अपने घर पर थी उसे घटना के बारे में परमाल ने बताया था उसका पित बाजार से आ रहा था तो एक मोटरसाईकिल से उसके पित का एक्सीडेंट हो गया था, मोटरसाईकिल को संतोष चला रहा था। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि ऐसा नहीं हुआ कि उसे पूरी बात रसूल खॉन ने बताई थी एवं प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि वह आरोपी को जानती है तथा हाजिर अदालत आरोपी संतोष नहीं है। इस प्रकार फरियादी मदीना अ0सा0 1 के कथनों से यह दर्शित है कि मदीना घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है, उक्त साक्षी ने एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा है। यद्यपि उक्त साक्षी द्वारा प्र0पी0 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट आरोपी के विरुद्ध नामजद की गई है परन्तु न्यायालय के समक्ष उक्त कथन में यह बताया गया है कि उसे घटना के बारे में परमाल ने बताया था, उक्त साक्षी द्वारा हाजिर अदालत आरोपी की पहचान भी नहीं की गई है ऐसी स्थित में उक्त साक्षी के कथनों से आरोपी के विरुद्ध अपराध संदेह से पर प्रमाणित नहीं होता है।
- 15. आहत सकूर खॉ अ०सा० 3 द्वारा भी यह व्यक्त किया गया है कि घटना वाले दिन वह गोहद बाजार से अपने घर तलैया पैदल पैदल जा रहा था तो थाने के पास एक मोटरसाईकिल वाला उसे टक्कर मार गया था। टक्कर मारने वाले का वह नाम नहीं जानता है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी संतोष ने अपनी मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाही से चलाकर उसके टक्कर मारी थी। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि वह हाजिर अदालत आरोपी संतोष को नहीं जानता है और उसने संतोष को कभी नहीं देखा है। इस प्रकार आहत सकूर खॉ अ०सा० 3 ने भी अपने कथन में एक्सीडेंट होना बताया है परन्तु यह नहीं बताया है कि दुर्घटना कारित करने वाली मोटरसाईकिल का नम्बर क्या था और उसे कौन चला रहा था। उक्त साक्षी ने हाजिर अदालत आरोपी की पहचान भी नहीं की गई है एवं उसने आरोपी को कभी नहीं देखा है, इस प्रकार आहत सकूर खॉ अ०सा० 3 द्वारा भी आरोपी के विरूद्ध

10

4 आपराधिक प्रकरण कमांक 1336/2015 ई0फौ0

कोई कथन नहीं दिया गया है तथा आरोपी द्वारा वाहन दुर्घटना कारित करने से इंकार किया गया है यद्यपि उक्त साक्षी के पुलिस कथन प्र0पी0 5 में आरोपी संतोष द्वारा मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए टक्कर मार देने का उल्लेख है परन्तु यह बात आहत सकूर खाँ अ०सा० 3 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में नहीं बताई गई है बल्कि आहत सकूर खाँ अ०सा० 3 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में आरोपी द्वारा वाहन दुर्घटना कारित करने से इंकार किया है उक्त साक्षी द्वारा हाजिर अदालत आरोपी की पहचान भी नहीं की गई है अतः उक्त साक्षी के कथनों से भी संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी ने आरोपित मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए सकूर खाँ के टक्कर मारी थी।

- 16. जहां तक साक्षी रसूल खॉ अ०सा० 8 के कथन का प्रश्न है तो साक्षी रसूल खॉ अ०सा० 8 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में आरोपी संतोष द्वारा मोटरसाईकिल को तेजी से चलाते हुए आहत सकूर के टक्कर मार देना बताया है परन्तु यह बात स्वयं आहत सकूर खॉ अ०सा० 3 एवं फरियादी मदीना अ०सा० 1 द्वारा नहीं बताई गई है। आहत सकूर खॉ अ०सा० 3 एवं मदीना अ०सा० 1 ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से आरोपी द्वारा दुर्घटना कारित करने से इंकार किया है। आहत सकूर खॉ अ०सा० 3 ने भी अपने कथन में आरोपी द्वारा मोटरसाईकिल से उसके टक्कर मार देने के तथ्य से इंकार किया है। फरियादी मदीना अ०सा० 1 एवं आहत सकूर खॉ अ०सा० 3 द्वारा आरोपी संतोष की पहचान भी नहीं की गई है। साक्षी रसूल खॉ अ०ास० 8 ने अपने कथन में आरोपी संतोष द्वारा मोटरसाईकिल से आहत सकूर के टक्कर मार देना बताया है परन्तु आहत सकूर अ०सा० 3 ने आरोपी द्वारा वाहन दुर्घटना कारित करने से इंकार किया है, इस प्रकार उक्त बिन्दु पर साक्षी रसूल खॉ अ०सा० 8 के कथन फरियादी मदीना अ०सा० 1 एवं सकूर खॉ अ०सा० 3 के कथन से परस्पर विरोधाभाषी रहे हैं, ऐसी स्थिति में साक्षी रसूल खॉ अ०सा० 8 के कथन भी आरोपी द्वारा वाहन दुर्घटना कारित किये जाने के बिन्दु पर संदेहास्पद हो जाते है एवं साक्षी रसूल खॉ अ०सा० 8 के कथनों से भी संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी द्वारा वाहन दुर्घटना कारित की गई थी।
- 17. साक्षी परमाल अ०सा० 2 द्वारा भी न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है तथा व्यक्त किया गया है कि उसके सामने कोई घटना नहीं हुई थी। उक्त साक्षी को भी अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर भी उक्त साक्षी ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया है अतः उक्त साक्षी के कथनों से भी अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।
- 18. सेवानिवृत्त प्रधान आरक्षक श्यामकरन शर्मा अ०सा० 6 द्वारा विवेचना को प्रमाणित किया गया है उक्त साक्षी ने अपने कथन में यह बताया है कि उसने दिनांक 16.11.2015 को आरोपी संतोष से मोटरसाईकिल क् 0 एम०पी० 30 एम०जी० 0620 जप्त की थी तो यहां यह उल्लेखनीय है कि घटना दिनांक 13.11.2015 की है तथा जप्ती पंचनामा प्र०पी० ७ के अनुसार आरोपी से मोटरसाईकिल दिनांक 16.11.2015 को जप्त की गई है एवं दिनांक 16.11.2015 से आरोपी से मोटरसाईकिल जप्त होने मात्र से यह नहीं माना जा सकता है कि आरोपी ही घटना दिनांक को आरोपित मोटरसाईकिल को चला रहा था एवं आरोपी द्वारा आरोपित मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए आहत सकूर खाँ को टक्कर मार दी गई थी।
- 19. डॉ० आदित्य श्रीवास्तव अ०सा० 4 द्वारा आहत सकूर की चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र०पी० 6 को प्रमाणित किया गया है। हिम्मत सिंह भदौरिया अ०सा० 5 द्वारा प्र०पी० 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रमाणित किया गया है सेवानिवृत्त आरक्षक रामकरन शर्मा अ०सा० 7 द्वारा आरोपित मोटरसाईकिल के मैकेनिकल जांच रिपोर्ट प्र०पी० 9 को प्रमाणित किया गया है। उक्त सभी साक्षी प्रकरण के औपचारिक साक्षी है। प्रकरण में आई साक्ष्य को देखते हुए उक्त साक्षीगण की साक्ष्य का विश्लेषण किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।
- 20. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी मदीना अ0सा0 1, परमाल सिंह अ0सा0 2, आहत सकूर खॉ अ0सा0 3 द्वारा आरोपी के विरूद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। साक्षी रसूल खॉ अ0सा0 8 के कथन भी आरोपी द्वारा वाहन दुर्घटना कारित करने के बिन्दु पर संदेहास्पद रहे हैं। प्रकरण में आई साक्ष्य से संदेह से

परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक को आरोपित मोटरसाईकिल को आरोपी चला रहा था। जहां तक आरोपी द्वारा बिना ड्राईविंग लाईसेंस के मोटरसाईकिल चलाने का प्रश्न है तो वहां यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में आई साक्ष्य से यह ही प्रमाणित नहीं है कि घटना दिनांक को आरोपी आरोपित मोटरसाईकिल को चला रहा था, ऐसी स्थिति में यह भी प्रमाणित नहीं माना जा सकता है कि आरोपी ने आरोपित मोटरसाईकिल को बिना ड्राईविंग लाईसेंस के चलाया था।

- 21. समग्र अवलोकन से यह दर्शित है कि प्रकरण में फरियादी मदीना अ०सा० 1, परमाल सिंह अ०सा० 2, आहत सकूर खाँ अ०सा० 3 द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। साक्षी रसूल खाँ अ०सा० 8 के कथन भी आरोपी द्वारा वाहन दुर्घटना कारित करने के बिन्दु पर संदेहास्पद रहे हैं। शेष साक्षी डाँ० आदित्य श्रीवास्तव अ०सा० 4, हिम्मत सिंह भदौरिया अ०सा० 5, श्यामकरन शर्मा अ०सा० 6 एवं रामकरन शर्मा अ०सा० 7 प्रकरण के औपचारिक साक्षी हैं। उक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे संदेह से परे यह प्रमाणित होता हो कि आरोपी ने घटना दिनांक को बिना झाईविंग लाईसेंस के मोटरसाईकिल क० एम०पी० ३० एम०जी० ०६२० को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए आहत सकूर खाँ में टक्कर मारकर उसे साधारण उपहित कारित की थी, ऐसी स्थित में अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है। एवं आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।
- 22. यह अभियोजन का दायित्व है कि आरोपी के विरूद्ध अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करें यदि अभियोजन मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो आरोपी की दोषमुक्ति उचित है।
- 23. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 13.11.2015 को दिन के लगभग 02:00 बजे भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास करबा गोहद में लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन मोटरसाईकिल क0 एम0पी0 30 एम0जी0 0620 को बिना इ्राईविंग लाईसेंस के उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए फरियादिया मदीना के पित आहत शकूर खॉ में टक्कर मारकर उसे साधारण उपहित कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी संतोष चौरिसया को संदेह का लाभ देते हुए भा0दं0सं0 की धारा 279, 337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 03/181 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

24. आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते है।

25. प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसाईकिल क् एम0पी0 30 एम0जी0 0620 पूर्व से उसके पंजीकृत स्वामी की सुर्पुदगी पर है। अतः उसके संबंध में सुर्पुदगीनामा अपील अवधि पश्चात निरस्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

स्थान — गोहद दिनांक — 02.06.18 निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०) सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०) ्रण कमांक 13:

ELIMINA PRIENTS SUNTIN